


पोस्टल बैलोट नोटिस

POSTAL BALLOT NOTICE

भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम
PREFERENTIAL ISSUE OF EQUITY SHARES TO GOI



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय - पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Telephone: 044 – 28889360

E-Mail : investor@iobnet.co.in

Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

Telephone: 044 – 28889360

E-Mail : investor@iobnet.co.in



NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "E-Voting".

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed **Mr. R. Sridharan (CP No. 3239) of M/s. R Sridharan & Associates, Company Secretaries, Chennai or failing him Ms. Srinidhi Sridharan (CP17990) of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries, Chennai** as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. **5.00 p.m., on 26.02.2020** at the following address:

The Scrutinizer -

M/s. R. Sridharan & Associates,
Company Secretaries

**C/o. Cameo Corporate Services Ltd
(Unit INDIAN OVERSEAS BANK)**

Subramanian Building, 5th Floor, No.1, Club House Road, Chennai 600 002
E-mail: investor@cameoindia.com

Phone no. 044 28460390 to 28460395.

The Bank is also providing E-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt for E-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given there under for E-Voting purpose.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Bank / Managing Director & Chief Executive Officer ("MD & CEO") or any other Director/Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the Voting by Postal Ballot will be announced by displaying on the Website of the Bank at www.iob.in and will be intimated to the Stock Exchanges. The results will also be hosted on the website of the NSDL (e-voting agency).

Agenda item no.1: Issue of shares to Government of India (Promoters) on preferential basis

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the **Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 (Regulations)** and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI [Issue of Capital & Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018 as amended up to date, SEBI [Substantial Acquisition of Shares and Takeovers] Regulations, 2011 as amended up to date and SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 as amended up to date, guidelines if any prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under Banking Regulation Act, 1949. Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board") to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of face value of **Rs.10/- (Rupees Ten only)** each to the Government of India ("GOI") aggregating to **Rs. 4,360 crore (Rupees Four Thousand Three Hundred and Sixty Crore only)** on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018.



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय- पोस्ट-बैंक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

नोटिस

सेबी विनियमों में विनियम 44 (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 समय-समय पर संशोधित तथा कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 2014 के नियम 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः प्रवर्तन सहित) के संदर्भ में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (यहाँ के बाद से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) विशेष संकल्प पारित करने के लिए पोस्टल बैलेट, जिसमें इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे "ई-वोटिंग" शामिल है के माध्यम से शेयर धारकों की सहमति प्राप्त करने हेतु नोटिस दे रहा है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प और व्याख्यात्मक कथन, जिसमें भौतिक तथ्य और कारण बताए गए हैं, को संलग्न किया गया है। बैंक ने श्री आर श्रीधरन एवं एसोसिएट्स, चेन्नै के कंपनी सचिव श्री आर श्रीधरण (सीपी संख्या 3239) को या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एवं कंपनी एसोसिएट्स के सचिव श्री श्रीनिधि श्रीधरन (सीपी संख्या 17990) को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में को नियुक्त किया है। कृपया पोस्टल बैलेट फॉर्म की सूचना में छेपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और संलग्न स्व-संबोधित डाक से सभी प्रकार से पूरा किया गया फॉर्म निम्नलिखित पते पर भिजवा दें, यह फॉर्म संवीक्षक को 26.02.2020 को कार्य समय के भीतर जोकि शाम 5.00 बजे हैं, तक प्राप्त हो जाना चाहिए:

संवीक्षक -

श्री आर श्रीधरन एवं एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड

(इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का एकक)

सुब्रमण्यम बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, नंबर 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002

ई-मेल: investor@cameoindia.com

फोन नंबर. 044 28460390 से 28460395 तक

बैंक विशेष संकल्प पर मतदान के लिए ई-वोटिंग की सूविधा भी प्रदान कर रहा है। ई-वोटिंग सुविधा का चयन करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नोटों को पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग उद्देश्य के तहत दिए गए निर्देशों को पढ़ें।

अनुसंधानकर्ता डाक मतपत्रों की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट को बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रबंध निदेशक और सीईओ) या किसी अन्य निदेशक / निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत बैंक के अधिकारी के पास जमा करेगा। पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान का परिणाम बैंक की वेबसाइट www.job.in पर प्रदर्शित करके घोषित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा। परिणाम एनएसडीएल (ई-वोटिंग एजेंसी) की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

कार्यसूची मद संख्या 1. भारत सरकार (प्रवर्तक) को अधिमानी आधार पर शेयरों का आबंटन

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उचित समझे जाने पर विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003, यथा संशोधित 2008 (विनियमन), तक के अनुसरण में और इस संबंध में यथा अपेक्षित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), और / या किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई हो तो उसकी शर्त पर और उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को प्रदान करने में निर्धारित किए गए नियमों, शर्तों और उनके संशोधनों, जिससे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और विनियमों जैसे सेबी (पैंजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2018 सेबी (आइ सी डी आर) विनियम यथा संशोधित आज की तिथि तक एवं सेबी (शेयरों एवं अधिग्रहणों का पार्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम 2011 यथा संशोधित आज की तिथि तक एवं सेबी [सूचिकरन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ("एलओडीआर")] अधिनियम 2015 यथा संशोधित आज की तिथि तक, आरबीआई, सेबी की अधिसूचना/ परिपत्रों एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के वर्गीकरण के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों, यदि कोई हों - के अधीन है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 एवं समय-समय पर अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों एवं स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीबद्धकरण समझौतों, बैंक के हितधारकों की सहमति होना एवं बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में जाना जाएगा) इस प्रकार के शेयरों की संख्या को भारत सरकार ("GOI") को सेबी (ICDR) विनियम 2018 के विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर नकदी के लिए प्रीमियम के समावेशी आधार पर 4,360 अंकित मूल्य रूपये 10/- (दस रूपये मात्र) प्रत्येक होगा।



इण्डियन ओवरसीज़ बँक
Indian Overseas Bank

RESOLVED FURTHER THAT, the Relevant Date in terms of Regulation 161 under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of the Issue Price is **Monday, 27.01.2020**.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT, the equity shares to be issued shall rank pari-passu in all respects including dividend with the existing equity shares of the Bank and both the newly issued and the existing shares held by the investor(s) be subject to the lock-in requirements as prescribed under Regulation 167 of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations, and the newly issued equity shares be listed on the Stock Exchanges on which the existing equity shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable and expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or such other functionary to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Karnam Sekar
Managing Director & CEO
Place: Chennai
Date: 21.01.2020

Notes:

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed resolution is annexed hereto.
2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, www.iob.in and on the website of M/s National Securities Depository Limited.
3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on 17.01.2020 ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or E-Voting. A person who is not a shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.
4. Pursuant to Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 (ten) per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act/s, Regulation/s, Scheme/s and Regulation/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder cast his/her vote both by postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail.



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आगे संकल्प किया जाता है कि सेबी ICDR विनियमों के अध्याय V के तहत विनियम 161 के संदर्भ में मूल्य निर्धारण के लिए संबंधित तिथि सोमवार 27.01.2020 है।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को प्राधिकार और अधिकार होगा कि वह मंडल की सहमति के अनुरूप निर्गमन, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुमतियों और मान्यता / मंजूरी देते समय भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित और अधिरोपित अनुसार प्रस्ताव में कोई भी संशोधन करे।

आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित ईक्टिटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्टिटी शेयरों के समरूप स्तर के होंगे तथा और निवेशक (को) द्वारा जारी किए गए नए और मौजूदा शेयर दोनों सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के विनियम 167 के तहत लॉक-इन आवश्यकताओं के अधीन होंगे, और जारी किए गए नए ईक्टिटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होंगे। जिस पर बैंक के मौजूदा ईक्टिटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उसके विवेकाधिकार के तहत आवश्यक समुचित व वांछनीय कार्रवाई, करार, मामले और कार्य निपटा सके और ईक्टिटी शेयरों के निर्गमन के समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, समस्याओं या संदेहों को निपटा सके और आगे ऐसे सभी मामलों व कार्यों को अंतिम रूप दे सके और उसके विधिवत विवेकाधिकार के तहत उचित व आवश्यक, वांछित व लाभकर दस्तावेजों व लेखन कार्य का निपटान करें जो उनके विवेकाधिकार के अनुरूप उचित, वांछनीय हों तथा जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता न हो। ऐसा समझा जाए कि इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त अनुमोदन प्राप्त है।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वे सभी अधिकारों या उनको दिए गए अधिकारों से किसी एक को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशकों या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है जो कथित संकल्प को लागू करने के लिए उपयुक्त हो।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

कर्नम शेखर
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
स्थान : चेन्नई
दिनांक: 21.01.2020

टिप्पणियाँ:

- प्रस्तावित संकल्प के लिए सभी भौतिक तथ्यों और कारणों को बताते हुए व्याख्यातक विवरण को यहाँ संलग्न किया गया है।
- जब तक कि किसी भी शेयरधारक ने उसी की भौतिक प्रति के लिए पंजीकरण नहीं किया हो, पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है, जिनके ईमेल पते बैंक / डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, भौतिक प्रतियां अनुमत माध्यम से भेजी जा रही हैं। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि पोस्टल बैलट का यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.in और मैसर्स नेशनल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- 17.01.2020 ("कट-ऑफ डेट") को शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत ईक्टिटी शेयरों के भुगतान-मूल्य पर वोटिंग अधिकार प्राप्त किया जाएगा। केवल वे शेयरधारक जिनका नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में या डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, कट-ऑफ की तारीख पर डाक मतपत्र या ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। वह व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख पर शेयरधारक नहीं है के लिए यह नोटिस केवल उनकी सूचनार्थ समझा जाना चाहिए।
- बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (2 ई) (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, केंद्र सरकार के अलावा संबंधित नए बैंक का कोई भी अंशधारक, किसी भी शेयर के संबंध में उसके नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक के मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के अधिकारी नहीं होगा। अधिनियम / मों, विनियमन / मों, योजना / ओं और विनियमन / नों के किसी भी संशोधन के मामले में जिसके परिणामस्वरूप इस नोटिस में रखी गई मौजूदा प्रक्रिया के किसी भी या हिस्से को बदल दिया जाएगा, संशोधन लागू (प्रचलित) होगा।

शेयरधारक केवल एक मोड के लिए मतदान कर सकते हैं, यानी या तो पोस्टल बैलेट फॉर्म या ई-वोटिंग। यदि कोई भी शेयरधारक डाक मतपत्र और ई-वोटिंग दोनों के द्वारा अपना वोट डालता है, तो ई-वोटिंग के माध्यम से डाला गया वोट मान्य होगा।



5. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by Email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.iob.in or by writing to the **Company Secretary, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002** and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before **5.00 p.m. on 26.02.2020**.

6. The resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on **26.02.2020** i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or E-Voting.

7. A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.

8. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than **5.00 p.m. on 26.02.2020**. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after **5.00 p.m. on 26.02.2020**, it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:

- a) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/or
- b) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or
- c) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or
- d) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or
- e) Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or
- f) if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.

9. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a Duplicate Postal Ballot Form, the Member may write to the Bank at **Company Secretary, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002** or its Registrar and Share Transfer Agent, C/o. Cameo Corporate Services Ltd, Subramanian Building, 5th Floor, No.1, Club House Road, Chennai 600 002, E-mail: investor@cameoindia.com, Phone no. 044 28460390 to 28460395. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before **5.00 p.m. (IST) on 26.02.2020**.

10. The process and manner of remote e-voting shall be as follows:

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the Resolution mentioned in the postal ballot notice. Shareholders are informed as under in this regard:

- a) The Bank has appointed **M/s National Securities Depository Limited.** as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.
- b) The Portal will open for remote e-voting at **9.00 a.m. on 28.01.2020** and will remain open on all the days up to **5.00 p.m. on 26.02.2020 (both days inclusive)**.
- c) Remote e-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e., **17.01.2020**, may cast their vote electronically.



5. इसके अलावा, शेयरधारक, जिन्हें ईमेल द्वारा पोस्टल बैलेट का नोटिस प्राप्त हुआ है और जो भौतिक पोस्टल बैलेट फॉर्म के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, वे पोस्टल बैलेट फॉर्म बैंक की वेबसाइट www.iob.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002 को पत्र लिख कर मँगवा सकते हैं। विधिवत रूप से भरे हुए तथा हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक को प्रेषित करें ताकि वे दिनांक 26.02.2020 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले संवीक्षक के कार्यालय तक पहुँच जाने चाहिए।
6. संकल्प को, अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए प्रस्तावों को अंतिम रूप से 26.02.2020 को पारित समझा जाएगा, अर्थात्, दी गई तिथि बैंक द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म या ई-वोटिंग प्राप्त करने की अंतिम तिथि है।
7. एक शेयरधारक पोस्टल बैलेट पर प्रॉक्सी द्वारा अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकता है।
8. पोस्टल बैलेट फॉर्म द्वारा अपने वोट का उपयोग करने के इच्छुक पोस्टल बैलेट फॉर्म द्वारा अपने वोट का उपयोग करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट फॉर्म के पीछे छपे हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उक्त फॉर्म को विधिवत रूप हस्ताक्षरित कर वापस लौटाएं एवं संलग्न स्व-संबोधित डाक प्री-पेड बिजनेस कवर में भेजें ताकि उत्तर संवीक्षक को दिनांक 26.02.2020 को शाम 5 बजे से पहले पहुँच सकें। डाक खर्च बैंक द्वारा वहाँ किया जाएगा। हालांकि, पोस्टल बैलेट फॉर्म वाले लिफाफे, यदि कूरियर या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए हैं या शेयरधारक / कों द्वारा संलग्न स्व-संबोधित डाक प्री-पेड बिजनेस कवर में व्यवसाय उत्तर लिफाफे बताए गए पते पर व्यक्तिगत रूप से जमा किए गए हैं, तो भी स्वीकार किए जाएंगे। यदि कोई डाक मतपत्र 26.02.2020 को शाम 5.00 बजे के बाद प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि शेयरधारक/ कों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।
 - a) शेयरधारक/कों की सहमति या असंतोष के बिना यह निर्धारित करना संभव नहीं है और/ या
 - b) एक सक्षम प्राधिकारी ने बैंक को शेयरधारक / कों के वोटिंग अधिकारों को स्थगित(फ्रीज़) करने के लिए लिखित में निर्देश दिए हैं और/ या
 - c) इसे इस तरह से विकृत या खराब किया गया है कि वास्तविक रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; और / या शेयरधारक ने अपने मत का प्रयोग करते समय किसी भी शर्त को लागू करने या किसी भी शर्त को लागू करने के लिए कोई संशोधन किया है; और/ या
 - d) प्रारूप में उपलब्ध करवाए गए विवरण अधूरे अथवा गलत हैं; और/ या
 - e) पोस्टल बैलेट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं अथवा हमारे रिकॉर्ड से मिलान नहीं होता है; और/ या
 - f) यदि प्रयोग किया गया पोस्टल बैलेट प्रारूप हमारे बैंक के द्वारा जारी पोस्टल बैलेट से अलग है।
9. ऐसी स्थिति में जब एक शेयरधारक एक पोस्टल बैलेट फॉर्म की प्रतिलिपि प्राप्त करने के इच्छुक है वे सदस्य कंपनी सचिव, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल ऑफिस, 763, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002 या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट सी/ ओ. कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, 5 वीं मंजिल, नंबर 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नई 600 002, ई-मेल: investor@cameoindia.com, फोन नं. 044 28460390 से 28460395 तक बैंक को लिख सकता है। पर हालांकि, विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म को संवीक्षक के पास 26.02.2020 को शाम 5.00 (IST) बजे या उससे पहले पहुँच जाना चाहिए।
10. दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया और तरीके निम्नानुसार होंगे:
 - सेबी के विनियम के नियम 44 (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना), 2015 के अनुसार एवं कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) के नियमों, 2014 अथवा उसके पश्चात किए गए संशोधन के अनुपालन के तहत आपके बैंक को शेयरधारकों विद्युतकीय माध्यम को दूरस्थ विधि द्वारा ई-वोटिंग की सहायता से पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लेखित संकल्प पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता हो रही है। शेयरधारकों को इस संबंध में सूचित किया जाता है।
 - क. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मेसर्स नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को दूरस्थ ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
 - ख. रिमोट ई-वोटिंग के लिए पोर्टल 28.01.2020 को सुबह 9 बजे खुलेगा और 26.02.2020 को शाम 5.00 बजे (दोनों दिन सम्मिलित) तक खुला रहेगा।।
 - ग. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। बैंक के शेयरधारक के पास या तो भौतिक या आभासी रूप में शेयरों हो सकते हैं, जैसे कि अंतिम तारीख यानी 17.01.2020 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।



d) The instructions for remote e-voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting. The voting period begins on **28th January 2020 at 9.00 a.m.(IST)**, and ends on **26th February 2020 at 5.00 p.m.(IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date 17th January 2020** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The procedure to login to e-Voting website consists of two steps as detailed hereunder:

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1 : Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - (i) How to retrieve your 'initial password'? If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.



घ. रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्न प्रकार से हैं :

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

(i) ई-वोटिंग की अवधि 28 जनवरी 2020 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होकर 26 फरवरी 2020 शाम 05.00 बजे (आईएसटी) को समाप्त हो रही है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो शेयरों को 17 जनवरी 2020 की कट ऑफ तिथि तक भौतिक या बेकागजीकृत रूप में धारित करते हैं, अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

वेबसाइट ई-वोटिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित दो चरणों में होगी :

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए किस प्रकार वोटिंग कर सकता हूँ ?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग की वेबसाइट पर इलैक्ट्रॉनिकली वोट डालने की प्रक्रिया “दो चरणों” में होगी, जिसे नीचे बताया जा रहा है :

चरण 1 : एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में <https://www.evoting.nsdl.com/> पर लोग इन करें

चरण 2 : एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलैक्ट्रॉनिकली अपना वोट डालें

चरण 1 के विवरणों को नीचे बताया जा रहा है :

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर किस प्रकार लोगोंने करें ?

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। या तो निजी कंप्यूटर अथवा एक मोबाइल पर ब्राउज़र को <https://www.evoting.nsdl.com/> यूआरएल को टाइप करते हुए खोलें।
- एक बार ई-वोटिंग का पेज खुल जाने पर “लॉगिन” पर क्लिक करें, जोकि शेयर धारक खंड के अंदर उपलब्ध है।
- एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता क्रमांक, आपका पासवर्ड एवं स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड भरना होगा। वैकल्पिक रूप से यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं, जोकि आइडियाज़ है, के लिए पंजीकृत हैं तो आप <https://eservices.nsdl.com/> पर अपनी विद्यमान आइडियाज़ लॉगिन के साथ लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार लॉग-इन विवरणों का प्रयोग करते हुए लॉगिन कर लेने के पश्चात ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण दो, जोकि इलैक्ट्रॉनिकली अपना वोट डालें हैं, की ओर जा सकते हैं।
- उपयोगकर्ता पहचान के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :

शेयर धारण का प्रकार जोकि डीमेट (एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल) अथवा भौतिक है	आपकी उपयोगकर्ता पहचान
क) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमेट खाते में शेयर हैं।	8 अंक्षर की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए अगर आपकी डीपी आईडी IN 300*** एवं क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता पहचान IN300***12***** है।
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीएसडीएल के साथ डीमेट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी पहचान उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी पहचान 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता पहचान 12***** है।
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं।	ईवीईएन संख्या के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है एवं ईवीईएन संख्या 101456 है तो उपयोगकर्ता पहचान 101456001***

- आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :
 - आगर आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन एवं वोट डालने के लिए अपने विद्यमान पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
 - आगर आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पहले ‘शुरूआती पासवर्ड’ प्राप्त करना होगा, जोकि आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना ‘शुरूआती पासवर्ड’ प्राप्त हो जाता है, तो आपको ‘शुरूआती पासवर्ड’ प्रविष्ट करना होगा तथा प्रणाली आपको पासवर्ड बदलने का सुझाव देगी।
 - ‘शुरूआती पासवर्ड’ किस प्रकार प्राप्त करें?
 - आपकी ईमेल आईडी डीमेट खाते अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपका ‘शुरूआती पासवर्ड’ आपकी ईमेल आईडी पर भेजा गया है। आपके मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए मेल का पता लगाएँ। मेल को खोलें तथा संलग्न, जोकि एक पीडीएफ़ फ़ाइल है, को प्राप्त करें। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलें। पीडीएफ़ खोलनेके लिए आपकी एनएसडीएल खाते की 8 अंकों की क्लाइंट पहचान, सीडीएसएल खाते अथवा भौतिक रूप में शेयर धारकों के लिए फोलियो संख्या के अंतिम 8 अंक पासवर्ड हैं। पीडीएफ़ में आपकी ‘उपयोगकर्ता पहचान’ एवं ‘शुरूआती पासवर्ड’ हैं।
 - आगर आपका मेल पंजीकृत नहीं है तो आपका ‘शुरूआती पासवर्ड’ आपके डाक पते पर सूचित किया गया है।



6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "**Forgot User Details/Password?**" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to rsaevoting@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in



6. अगर आप 'शुरुआती पासवर्ड' प्राप्त करने अक्षम हैं अथवा वह आपको प्राप्त नहीं हुआ है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड भूल गए" (यदि आपके शेयर एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के साथ आपके डीमेट खाते में हैं) पर क्लिक करें।
 - ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट" (यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप से उपलब्ध हैं) पर क्लिक करें।
 - ग) यदि आप उपर्युक्त बताए गए दोनों विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो आप evoting@nsdl.co.in को अपना डीमेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, आपका पैन कार्ड, आपका नाम तथा पंजीकृत पते को अंकित करते हुए मेल द्वारा अनुरोध कर सकते हैं।
 - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) आधारित लॉगिन का प्रयोग भी कर सकते हैं।
7. पासवर्ड प्रविष्ट करने के चेक बॉक्स का चयन करते हुए "नियमों एवं शर्तों" से सहमत पर क्लिक करें।
8. अब आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :

अपना इलैक्ट्रोनिकली वोट एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर किस प्रकार डालें?

1. चरण 1 द्वारा सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें, तत्पश्चात एटिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के पश्चात आप जिन सभी कंपनियों "ईवीईएन" के शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल सक्रिय स्थिति में है, को देख पाएंगे।
3. आप जिस कंपनी को वोट करना चाहते हैं, के "ईवीईएन" का चयन करें।
4. अब आप, जैसे ही वोटिंग का पेज खुलता है, ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
5. उचित विकल्पों, जोकि सहमत असहमत है, पर शेयरों की संख्या जिन पर आप वोट डालना चाहते हैं को सत्यापित/संशोधित करते हुए अपना वोट डालें एवं "सबमिट" एवं साथ ही जब प्रदर्शित हो तब "कन्फर्म" पर क्लिक करें।
6. पुष्टि पर "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" का संदेश प्रदर्शित होगा।
7. पुष्टि पृष्ठ पर उपलब्ध प्रिंट विकल्प पर क्लिक करते हुए आप आपके द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, इत्यादि) द्वारा संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र, आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप में) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ओं, जो वोट करने हेतु प्राधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को rsaevoting@gmail.com पर भेजी जानी है जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर मार्क की जानी है।
2. इस बात की अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करें और पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सावधानी बरतें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयासों के पश्चात ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन को अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रिसेट करने हेतु आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता रिसेट पासवर्ड" विकल्प पर जाएँ।
3. किसी पूछताछ हेतु, आप www.evoting.nsdl.com के डॉउनलोड अनुभाग में उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनेजर एवं शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे गए प्रश्न का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।



इण्डियन ऑवरसीज बैंक
Indian Overseas Bank

The Results of the e-voting shall be declared after the conclusion of voting through Postal Ballot of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com within two days of the conclusion of voting through Postal Ballot of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Karnam Sekar
Managing Director & CEO

Place: **Chennai**
Date: **21.01.2020**

EXPLANATORY STATEMENT

Item No.1

Issue of shares to Government of India (Promoters) on preferential basis Pursuant to SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, (the Regulations).

1. Objects of the Preferential Issue:

Ministry of Finance, Government of India vide its notification dated **26.12.2019** has conveyed its sanction to infuse capital of **Rs. 4,360 crore in Indian Overseas Bank**. The Capital infusion will be by way of preferential allotment of equity shares to Government of India.

The amount of **Rs.4,360 crore (Rupees Four Thousand Three Hundred and Sixty Crore only)** has been received by the Bank on **03.01.2020** the account maintained with the Reserve Bank of India ("RBI").

The Board of Directors have on **21.01.2020** decided to issue equity shares to GOI and accordingly recommended passing the Special Resolution to create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of **Rs.10/- (Rupees Ten only)** each to the Government of India ("GOI") on preferential basis against capital infusion of **Rs.4,360 crore (Rupees Four Thousand Three Hundred and Sixty Crore only)** already received from the GOI. The capital raised would be utilized to improve the capital adequacy and to fund general business needs of the Bank. The entire issue will be subscribed by the Government of India ("GOI"), the Promoter of the Bank.

2. Maximum number of specified securities to be issued:

The Special Resolution shall be deemed to be passed on the last date of Postal Ballot i.e., **26.02.2020**. Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is **27.01.2020** and the Issue Price will be calculated in accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The Issue Price and the number of Shares to be issued and allotted to the Government of India ("GOI") shall be intimated to the Stock Exchanges after the Relevant Date.

3. Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the offer:
Since, the Government of India ("GOI") shareholding in the Bank is **94.56%** and the proposed preferential issue is also to be made to the GOI, none of the Directors or Key Managerial Personnel have intent to subscribe the offer except the GOI.

4. Shareholding Pattern of the issuer before and after the preferential issue:

Before Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	Promoter's Holding:		
	GOI	11901312532	94.563%
B.	Non Promoter Holding:		
	Public	684085686	5.44%
	Grand Total	12585398218	100.00



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक के पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग के निष्कर्ष के बाद होगी। परिणाम मतदान की अनुसंधानकर्ताओं की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट जोकि www.iob.in है तथा एनएसडीएल की वेबसाइट जोकि www.evoting.nsdl.com है, पर बैंक के पोस्टल बैलेट वोटिंग के निष्कर्ष के दो दिनों के भीतर प्रदर्शित करके घोषित किए जाएंगे और एनएसई/ बीएसई को सूचित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

कर्म शेखर
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 21.01.2020

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 1

सेबी को अधिमानी आधार पर भारत सरकार (प्रमोटर) को शेयर जारी करना [पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम] (आइसीडीआर)] विनियम, 2018, (विनियम)

1. अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 26.12.2019 की अपनी अधिसूचना में माध्यम से इण्डियन ओवरसीज बैंक में रु. 4,360 करोड़ की पूँजी निवेश करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार को पूँजी निवेश इकिटी शेयरों के अधिमानी आवंटन के माध्यम से किया जाएगा।

बैंक को रु. 4,360 करोड़ (रुपये चार हजार तीन सौ साठ करोड़ मात्र) की राशि भारतीय रिजर्व बैंक ("RBI") के साथ रखे गए खाते में 03.01.2020 को प्राप्त हुई।

निदेशक मण्डल ने 21.01.2020 को भारत सरकार को इकिटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया है और तदनुसार भारत सरकार को भारत सरकार से अधिमानी आधार पर प्राप्त रु. 4,360 करोड़ (रुपये चार हजार तीन सौ साठ करोड़ मात्र) के पूँजी निवेश के प्रति रुपये 10/- के अंकित मूल्य के इकिटी शेयरों की अपेक्षित संख्या 43,60,00,000 का सूचना, ऑफर, निर्गम और आवंटन करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश की है। जुटाई गई पूँजी का उपयोग पूँजी की पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। पूरा निर्गम भारत सरकार, बैंक के प्रवर्तक द्वारा समर्थित है।

2. जारी की जाने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या:

विशेष प्रस्ताव को पोस्टल बैलेट की अंतिम तिथि यानी 26.02.2020 को पारित माना जाएगा। सेबी (पूँजी व प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन, 2018 के विनियम 161 के लिए, प्रासंगिक तारीख 27.01.2020 है और निर्गम मूल्य की गणना सेबी (पूँजी व प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन, 2018 के विनियम 164 के अनुसार की जाएगी। निर्गम की तारीख और भारत सरकार को जारी और आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या प्रासंगिक तिथि के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाना है।

3. ऑफर के समर्थन में जारीकर्ता के प्रमोटरों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मियों की मंशा:

चूंकि, बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 94.56% है और प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम भी भारत सरकार को दिया जाना है। भारत सरकार के अलावा निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मियों में ऑफर को सबस्क्राइब करने की मंशा नहीं है।

4. अधिमान्य मुद्रे से पहले और बाद में जारीकर्ता के शेयरधारिता पैटर्न:
निर्गम से पूर्व:

क्रम संख्या	प्रवर्ग	इश्यू से पहले	
		धारित शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत
ए.	प्रमोटरों की धारिता :		
	भारत सरकार	11901312532	94.563%
बी	गैर प्रमोटरों की धारिता :		
	पब्लिक	684085686	5.44%
	कुल योग	12585398218	100.00



The aforesaid shareholding pattern of the Bank is before the proposed preferential issue to the Government of India ("GOI") as requisite number of Equity Shares to be allotted to the GOI shall be ascertained only after the determination of Issue Price on Relevant Date i.e. **27.01.2020**. The number of equity shares to be allotted to GOI and the Post Issue Shareholding Pattern will be informed to the Stock Exchanges after the determination of the Issue Price.

5. Time frame within which the preferential issue shall be completed: The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of the special resolution provided that any approval or permission by any Regulatory Authority like SEBI or the Central Government for allotment is not pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

6. Identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue: The ultimate beneficial owner of the Bank is Government of India and hence identity of natural person cannot be provided.

As the entire issue is to be made to the Government of India ("GOI"), the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

7. Undertaking that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so:

Since the Equity Shares of the Bank have been listed on recognized stock exchange for a period of more than 26 weeks prior to the relevant date, the Bank is not required to re-compute the price per equity share and therefore the Bank is not required to submit the undertaking specified under Regulations 163 of the ICDR Regulations.

8. As all the shares are to be issued to Government of India ("GOI") the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are not applicable.

9. Lock-in and Restrictions on Transferability:

(i) The Equity Shares allotted to the Government of India ("GOI") shall be locked-in for a period of 3 (three) years from the date of trading approval granted to the Equity Shares.

Provided that not more than 20 (twenty) per cent of the total capital of the issuer shall be locked-in for 3 (three) years from the date of trading approval.

Provided further that Equity Shares allotted in excess of the 20 (twenty) per cent shall be locked-in for one year from the date of trading approval pursuant to exercise of options or otherwise, as the case may be.

(ii) The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottees, if any, shall be locked-in from the Relevant Date up to a period of 6 (six) months from the date of trading approval.

10. Auditor's Certificate:

A Certificate of the Statutory Auditors of the Bank shall be available at the **Bank's Website / Head Office, Chennai of the Bank** till the date of announcement of results of the Postal Ballot considering the proposed preferential issue, for certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

11. Other Requirements

a) All the Shares held by the Government of India ("GOI") are in Dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.



बैंक का उपरोक्त अंशधारिता पैटर्न प्रस्तावित भारत सरकार (" GOI") के अधिमान्य शेयर आबंटन से पहले का है , क्योंकि भारत सरकार को आवंटित किए जाने वाले इक्लिटी शेयरों की अपेक्षित संख्या प्रासंगिक तिथि 27.01.2020 पर अंक मूल्य के निर्धारण के बाद ही उजागर हो सकेगी । भारत सरकार को जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या और शेयरधारिता प्रारूप जारी होने के बाद ही शेयर जारी किए जाने के मूल्य निर्धारण के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा ।

5. समय सीमा जिसके भीतर अधिमान्य मुद्दे को पूरा किया जाएगा: विशेष संकल्प के लिए आवंटित आवंटन विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, बशर्ते आवंटन के लिए किसी भी नियामक जैसे सेबी या केंद्र सरकार जैसे प्राधिकरण द्वारा कोई अनुमोदन या अनुमति लंबित नहीं हैं , ऐसे आवेदन पर आदेश की तारीख या अनुमोदन या अनुमति जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की गणना की जाएगा।

6. उन सामान्य व्यक्तियों की पहचान , जो आवंटित किए जाने वाले शेयरों के अंतिम लाभकारी मालिक हैं और / या जो अंतः प्रस्तावित आवंटियों को नियन्त्रित करते हैं , अधिमान्य मुद्दा पूँजी के पश्चात , प्रतिशत जो उनके पास हो अधिमान्य मुद्दे के परिणामस्वरूप उन्हें नियन्त्रक के रूप में बदल सकता है , यदि कोई हो: बैंक का अंतिम लाभकारी स्वामी भारत सरकार है और इसलिए सामान्य व्यक्ति की पहचान प्रदान नहीं की जा सकती है।

जैसा कि पूरे (शेयर) जारी किए जाना , भारत सरकार ("GOI") को बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रमोटर के रूप में बनाने के उद्देश्य से है, इस (शेयर) जारी किए जाने के बाद नियन्त्रण में कोई बदलाव नहीं होगा ।

7. यह घोषणा कि जारीकर्ता इन विनियमों के प्रावधान के संदर्भ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की कीमत की फिर से गणना करेगा , जहां ऐसा करना आवश्यक है:

चूंकि बैंक के इक्लिटी शेयरों को प्रासंगिक तिथि से 26 सप्ताह पूर्व की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है , इसलिए बैंक द्वारा प्रति शेयर मूल्य की गणना करने की आवश्यकता नहीं है और अतः बैंक द्वारा आइसीडीआर विनियमों में निर्दिष्ट घोषणापत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. चूंके सभी शेयरों को भारत सरकार को जारी किया जाना है, सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ निर्गम) विनियम 2018 की अनुसूची VI में निर्दिष्ट प्रकटीकरण लागू नहीं होंगे ।

9. लॉक-इन और ट्रांसफरेबिलिटी पर प्रतिबंध:

(i) भारत सरकार को आवंटित इक्लिटी शेयर इक्लिटी शेयरों को प्रदत्त ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए लॉक-इन किए जाएंगे ।

बशर्ते कि जारीकर्ता की कुल पूँजी का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए लॉक-इन नहीं किए जाएगा ।

बशर्ते कि 20 प्रतिशत से अधिक के शेयर आवंटित किए जाने की स्थिति में चुने गये विकल्पों के अनुसार , इक्लिटी शेयर को ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 01 वर्षों की अवधि के लिए लॉक-इन किया जाएगा , जो भी मामला हो ।

(ii) आवंटियों की पूरी पूर्व-अधिमानी आबंटन हिस्सेदारी, यदि कोई हो , ट्रेडिंग अनुमोदन की प्रासंगिक तिथि से 6 (छह) महीने की अवधि तक लॉक-इन रहेगी।

10. लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र:

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट , बैंक के मुख्य कार्यालय, चेन्नै में डाक मतपत्रों के होगा कि यह निर्गम सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के निर्गम) विनियम , 2018 की आवश्यकताओं के अनुसार है ।

11. अन्य आवश्यकताएँ

क) भारत सरकार के सभी शेयर बेकागजीकत रूप में है और बैंक , जैसा कि लिस्टिंग समझौते में निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों (जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं) के साथ दर्ज है, इक्लिटी शेयरों की निरंतर लिस्टिंग की शर्तों के अनुपालन में हैं ।



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

b) GOI has not sold any equity shares in the recently during the six months preceding the relevant date. As applicable under Regulation 159(1) of SEBI (ICDR) Regulations to the present Issue.

c) None of the Directors of the Bank have been identified as a wilful defaulter.

d) None of the Directors of the Bank have been declared as a fugitive economic offender.

Pursuant to the SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, approval of the Shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution for the aforesaid Agenda.

Your Directors recommend the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 1 of the Notice of Postal Ballot.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Karnam Sekar
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date: 21.01.2020

ख) प्रासांगिक तिथि से 06 माह पूर्व की वधि के दौरान भारत सरकार ने कोई इक्किटी शेयर नहीं बेचे हैं, जो कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम 159 (1) के अंतर्गत लागू है।

ग) बैंक का कोई भी निदेशक विलफुल डिफॉल्टर के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।

घ) बैंक के किसी भी निदेशक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

सेबी [सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ("एलओडीआर")] विनियम, 2015 और SEBI [पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ का निर्गम ("आईसीडीआर")] विनियम, 2018 के अनुसार, उपरोक्त एजेंडा के विशेष संकल्प हेतु बैंक के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है।

आपके निदेशक पोस्टल बैलट की सूचना के कार्यसूची मद संख्या 1 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की बैंक में अपनी हिस्सेदारी, यदि कोई है, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में कोई दिलचस्पी नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

कर्नम शेखर
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: चेन्नै।
दिनांक : 21.01.2020



इंडियन ऑवरसीज बैंक
Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णास लै, चेन्नै 600 002
Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002
Investor Relations Cell

Telephone: 044 – 28889333, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in

संदर्भ सं / Ref. No.

पोस्टल बैलट फार्म / POSTAL BALLOT FORM

(बैंक द्वारा नामित संवीक्षक को वापस करें) / (To be returned to the Scrutinizer appointed by the Bank)

1. प्रथम नामित शेयरधारक का नाम एवं पता / Name And Address of the First named Shareholder.

2. यदि कोई संयुक्त शेयरधारक (ओं) हो तो उनका नाम (ओं) / Name(s) of Joint Shareholder(s), if any.

3. पंजीकृत फोलियो संख्या / डीपी आईडी/ ग्राहक संख्या / Registered Folio No. / DP ID / Client ID:

4. रखे हुए इकिटी शेयरों की संख्या / Number of equity share(s) held:

मैं/ हम अपनी/हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के दिनांकित 21.01.2020 के पोस्टल बैलट के नोटिस में बताए गए कारोबार के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से उत्तिष्ठित संकल्प पर निम्नलिखितमें से उपयुक्त कॉलम पर (✓)के चिन्ह पर विलक्ष करते हुए पारित किए जाने के संबंध में मेरे / हमारे वोट का प्रयोग करते हुए हमारी सहमति / असहमति देते हैं ।

I/We hereby exercise my / our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Notice of Postal Ballot dated 21.01.2020 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate column below:

सं. No.	मद Item	उन शेयरों की संख्या जिनके लिए वोट डाले गए - No. of Shares for which votes cast	मैं/हम संकल्प को अपनी सहमति प्रदान करते हैं (पक्ष में) I / We assent to the Resolution (FOR)	मैं/हम संकल्प के प्रति अपनी असहमति प्रदान करते हैं (विरोध में) I / We dissent to the Resolution (Against)
विशेष संकल्प / Special Resolution				
1	<p>सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के विनियम 164 के अनुशार निर्धारित किए जाने वाले निर्गम मूल्य पर नकद के लिए अधिमान्य आधार पर प्रीमियम सहित रु. 4360 करोड़ के समेकन वाले रु. 10 के आमुख मूल्य वाले प्रति इकिटी शेयरों की वाहित संख्या को भारत सरकार के लिए सृजित करने, प्रस्तावित करने, निर्गमित करने तथा आवंटित करने हेतु</p> <p>To create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India ("GOI") aggregating to Rs. 4,360 Crore on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018</p>			

स्थान / Place :

तिथि / Date :

(शेयर धारक के हस्ताक्षर) / (Signature of the Shareholder)

जांचकर्ता द्वारा पोस्टल बैलट प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 26.02.2020, शाम 5 बजे तक ।

Last date for Receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer : 26.02.2020, 5.00 p.m.

ई-वोटिंग विवरण / E-VOTING PARTICULARS

EVEN ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) (E-Voting Event Number)	यूजर आईडी (User ID)	पासवर्ड (Password)
112753		

ई-वोटिंग के लिए www.evoting.nsdl.com पर लाग – इन करें और एतदर्थ संलग्न नोटिश में दिये गए अनुदेशों का संदर्भ ले।

For E-Voting, please log in on www.evoting.nsdl.com and refer the instructions in the Notice attached herewith.

अनुदेश

1. जो शेयर धारक पोस्टल बैलेट के जरिए वोट का उपयोग करना चाहते हैं, वे इस पोस्टल बैलेट फार्म को भरकर पूर्व प्रदत्त डाक खर्च युक्त एवं पता लिखे लिफाफे में जांचकर्ता को भेज दें। पोस्टल बैलेट युक्त लिफाफे यदि प्रत्यक्ष रूप से जमा किए जाते हैं या सदस्य के खर्च पर कूरियर द्वारा भेजे जाते हैं तो उन्हें भी स्वीकृत किया जाएगा।
2. यह फार्म शेयर धारक द्वारा पूरी तरह भरा जाएगा और हस्ताक्षरित (बैंक / डिपाजटरी प्रतिभागी के यहाँ पंजीकृत नमूने हस्ताक्षर के अनुशासा) किया जाएगा। संयुक्त धारण की स्थिति में इस फार्म को प्रथम नामित सदस्य द्वारा भरा जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में अगले नामित शेयर धारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
3. जहाँ तक कंपनियों, न्यासों, सोसाइटियों द्वारा शेयर धारण का मामला है तो वहाँ पूर्ण रूप से भरे हुए पोस्टल बैलेट फार्म के साथ बोर्ड के संकल्प / प्राधिकार की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए। जहाँ फार्म पर भरत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, वहाँ पोस्टल बैलेट फार्म के साथ नामांकन की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
4. समुचित कॉलम में चिन्हित करते हुए अपनी सहमति को सहमति वाले कॉलम यानि "पक्ष में" और असहमति को असहमति वाले कॉलम यानि "विरोध में" दर्ज करते हुए अपना अभिमत प्रदान करें।
5. बिना हस्ताक्षर वाले, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण पोस्टल बैलेट फार्मों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
6. किसी भी शेयर धारक को सारे वोटों का प्रयोग करना जरूरी नहीं है और न ही सारे वोट एक ही पद्धति में प्रयुक्त करना है।
7. विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलेट फार्म जांचकर्ता के पास 26.02.2020 के दि कारोबार समय की समाप्ति यानि शाम 5 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट फार्मों को ऐसे माना जाएगा जैसे कि शेयरधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
8. यदि जरूरत हो तो शेयरधारक डुलिकेट पोस्टल बैलेट फार्म का अनुरोध कर सकते हैं। फिर भी विधिवत भरे हुए डुलिकेट पोस्टल बैलेट फार्म हर हालत में उक्त मद सं. 7 में निर्धारित अनुसार जांचकर्ता तक पहुँच जाने चाहिए।
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पूर्व प्रदत्त डाक खर्च युक्त एवं पता लिखे लिफाफे में पोस्टल बैलेट फार्म के साथ कोई अन्य कागज न भेजें।
10. अंतिम तिथि यानि 17.01.2020 के दिन तक शेयरधारकों के नाम में पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर वोटिंग अधिकारों की गणना की जाएगी।
11. पोस्टल बैलेट फार्म की वैधता पर जांचकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
12. पोस्टल बैलेट द्वारा की गई वोटिंग के नतीजों की घोषणा बैंक के वेबसाईट www.iob.in पर प्रदर्शन के जरिये की जाएगी और ये नतीजे स्टाक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे। ये नतीजे एनएसडीएल के वेबसाईट यानि www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
13. ई-वोटिंग – सेबी के विनियम 44 (लिस्टिंग बाध्यताओं और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के निर्धारित नियमों सहित संबंधित अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में, बैंक ई-वोटिंग सुविधा को वैकल्पिक सुविधा के रूप में प्रदान करेगा जिसके जरिए शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डाल सकते हैं, बजाय इसके की भौतिक रूप से बैलेट फार्म भेजे जाएँ। कृपया नोट करें की ई-वोटिंग एक विकल्प है। अगर किसी शेयरधारक ने ई-वोटिंग सुविधा के जरिये वोट किया है तो उसे भौतिक रूप से बैलेट फार्म भेजने की जरूरत नहीं है। अगर शेयरधारक दोनों ही पद्धतियों यानि भौतिक बैलेट और ई-वोटिंग के जरिये वोट करते हैं तो ई-वोटिंग के माध्यम से की गई वोटिंग को ही मान्य माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है की वे ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत अनुदेशों के लिए संबंधित नोटिस और उससे जुड़े नोट्स का सदर्भ लें।

Instructions

1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named shareholder.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorization. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. 5.00 p.m., on 26.02.2020. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Shareholder has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self-addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the Cut-Off date i.e. 17.01.2020.
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the Voting by Postal Ballot will be announced by displaying on the Website of the Bank at www.iob.in and will be intimated to the Stock Exchanges. The results will also be hosted on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e., Physical Ballot as well as E-Voting, then voting done through E-Voting shall prevail. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes thereto, for detailed instructions with respect to E-Voting.